**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9275/2026
CNR: RJHC010665102026 | URN: CRLMB / 20175U / 2026

Hira Ram S/o Shri Sahiba Ram, Aged About 18 Years, Resident Of Village Pitari Padar, P.s. Rohida, Dsitrict -Sirohi Rajasthan. (Presently Lodged In District Jail, Sirohi.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Lakharam S/o Foja Ji, R/o Chhota Khadara Bhula Rohera Dist Sirohi

----Respondents

---

For Petitioner(s) : Mr. S. S. Rathore
For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

---

**HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**

**Order**

**28/07/2026**

**01.** प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना रोहिडा जिला सिरोही में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 44/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 127(4), 64(2)(एम) बी.एन.एस. व धारा 3/4, 5/6 पोक्सो एक्ट व धारा 84 जे.जे. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

**02.** बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

**03.** प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में स्पष्ट रूप से अपनी मर्जी से प्रार्थी–अभियुक्त के पास जाना, प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा पीड़िता की सहमति से गलत काम करना बताया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

**04.** इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

**05.** मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व पीड़ता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान का अवलोकन किया। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

**06.** बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**07.** परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **हिराराम पुत्र सायबाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचासग–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

26/Nikita Chouhan